

कायलिय विहित प्राधिकारी/जिला कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार

संख्या

दिनांक.....

* संपरिवर्तन-आदेश *

श्री जगदीशनारायण बुकर्सेलर, महवा तहसील

के आवेदन पर उनकी खातेदारी अधिग्रहित में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2) (3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गईं हैं—

1. आवेदक/खातेदार/अधिकारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है?
3. संपरिवर्तन भूमि का व्यौरा—
 - (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम
 - (ख) भूमि का खसरा नं. और प्रत्येक खसरा नं. का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
 - (ग) प्रत्येक ख. नं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर या व.मी. में)
4. टिप्पणी— अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
5. संपरिवर्तन का प्रयोजन
6. संचालन की सं. तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम
8. चालान को संख्या तथा तारीख सहित ब्याज (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिये नियम 12 के अधीन जारी किया गया है?
10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा।
 - (1) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
 - (2) यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत की दी जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करवाई गई प्रीतियम का धन समयहद हो जायेगा।
 - (3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
 - (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

नाम:— जगदीशनारायण/ S.R व जनजाति तहसील द्वारा दिए गए।

विहित प्राधिकारी की मौहर

(जिला/कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

महवा (दिल्ली) राज.

सं. 17-21

दिनांक 13-1-06

प्रतिलिपि—

1. जिला कलैक्टर

2. ग्राम पंचायत/पटवारी हल्दी


3. आवेदक श्री

ग्राम-गढ़नीली तह-मध्यवा जिला-दौसा टक-न-75/1 रकवा 0-53 ४५५

क्ष. ३३०० वर्ग मीटर कार्यालयिक प्रयोजनार्थि भूमि इच्छान्तरण हेतु:-

खातेदार:- अदप्तर, सामाजिक अनुसंधान विकास समिति, मध्यवा जि-दौसा

पैमाना:- 1 CM = 10 M.



ग्राम-गढ़नीली तह-मध्यवा जिला-दौसा
उपर्युक्त अधिकारी
ग्राम-गढ़नीली तह-मध्यवा जिला-दौसा

१. ६५
२. १५-१२०५
जी १५-१२०५
लकड़ा बाजार
तहवा फूल